



पत्रांक- 1186/सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2021

दिनांक 28 / 07 / 2021

सूचना

एतद्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों/प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में पूर्व से संचालित एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में यदि सत्र 2021-22 से जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वे महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षक अनुमोदन करा लें तथा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्राप्त करके ही सन्दर्भित पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। यदि शिक्षक अनुमोदन एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति लिये बिना प्रथम वर्ष में प्रवेश लिये जाते हैं तो उन्हें प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों की उल्लंघन करने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं कालेज लागिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. सम्पादक महोदय- अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।